31

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–27/2022

सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत

श्री राम सेवक राम वगैरह––विक्रेता

प्रति

श्रीमती सखिया देवी––क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता (1) श्री राम सेवक राम, (2) श्री गोपाल प्रसाद, दोनों के पिता–स्व० हृद्या राम, ग्राम–खरौन्धा, पोस्ट–बेलहथ, थाना–काण्डी, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती सखिया देवी, पति–श्री रामनाथ कहांर, एवं पिता बेलाश चन्द्रवंशी, ग्राम–बेलहथ, पोस्ट–बेलहथ, थाना–काण्डी, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, काण्डी से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, काण्डी के पत्रांक 539/दिनांक 18.08.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेतागण के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेतागण के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेतागण के पिता हृद्या कहांर एवं अन्य के नाम से मांग पंजी II के पृष्ट सं०–318/1 पर चलता है। विक्रेतागण जाति के चन्द्रवंशी कहांर (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के चन्द्रवंशी कहांर (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेतागण के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में है। यह भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, काण्डी के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता (1) श्री राम सेवक राम, (2) श्री गोपाल प्रसाद, दोनों के पिता–स्व० हृद्या राम, ग्राम–खरौन्धा, पोस्ट–बेलहथ, थाना–काण्डी, जिला–गढ़वा ने क्रेता श्रीमती सखिया देवी, पति–श्री रामनाथ कहांर, एवं पिता बेलाश चन्द्रवंशी, ग्राम–बेलहथ, पोस्ट–बेलहथ, थाना–काण्डी, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
खरौन्धा	252	पुराना–15 नया–336	पुराना–186 नया–551	0.37½	उ०–शुशीला कुवंर, द०–तपेशरी चौहान, पू०–कच्ची रास्ता, प०–शशि चौहान,
			पुराना–186 नया–558	0.32½	उ०–शुशीला कुवंर, द०–कैलाश दुबे वगै०, पू०–सुरेश दूबे वगै०, प०–कच्ची रास्ता,
			पुराना–1096 नया–562	1.11½	उ०–तपेशरी चौहान वगैरह, द०–शुशीला कुवंर, पू०–कच्ची रास्ता, प०–सिवाना मौजा चोका,
			पुराना–1095 नया–562	0.20	
			कुल रकबा:–	02.01½	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

19.7.22

अपर समाहर्त्ता
गढ़वा

19.7.22

अपर समाहर्त्ता
गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.05 16:04:28 +05:30
Location: 192.168.36.160

Scanned with CamScanner